



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
8-1-2020	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली का सरसरी अवलोकन सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा ग्राम गुसाईसर के पुराना खेवट खतौनी न. 246 नया 288 व 224 की 4.66 हैक्टर भूमि में प्रार्थीगण के पिता,पति, दादा,ससुर, के नाम मे दुरुस्ती करने का निवेदन किया। जिस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नाटिस तलब किया। अप्रार्थी तहसीलदार बीकानेर अपने पत्रांक 6356 दिनांक 6.11.19 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए प्रार्थनापत्रानुसार दुरुस्ती करने का निवेदन किया। हमने पत्रावली एवं प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया। तहसीलदार बीकानेर की रिपोर्ट दिनांक 6.11.19 अनुसार ग्राम गुसाईसर के ख.न. 624 में भंवराराम ,मंशाराम पुत्र उदाराम ,गोगाराम पत्नि उदाराम दर्ज रिकार्ड है। सेटलमेन्ट से पूर्व इंतकाल नम्बर 680 स्वीकृत दिनांक 31.12.82 के द्वारा भंवराराम,मंशाराम पुत्र दरामराम ,गोगा पत्नि दराम के नाम दर्ज किया,के पश्चात् जमाबन्दियों मे दराम की जगह उदाराम कर दिया गया। अतः नाम दुरुस्ती उचित होना बताते हुए यह भी अंकित किया है कि नाम में गलती विभागीय स्तर से हुई है तथा नाम दुरुस्ती करने से राज्य सरकार या अन्य किसी काश्तकार पर प्रतिकुल असर नहीं होगा। अतः नाम दुरुस्त किया जाना उचित है।</p> <p>उपरोक्त विवेचन के आधार व तहसीलदार बीकानेर के अनुशषा अनुसार ग्राम गुसाईसर के खेवट खतौनी नम्बर पुराना 246 नया 288 ख.न.224 तदादी 4.66 हैक्टर में प्रार्थीगण 1/3 के पिता/पति उदाराम के स्थान पर दराम राम व अप्रार्थी संख्या 4 ता 7 के पिता जैसा के स्थान पर जैसाराम एवं प्रार्थी संख्या 8 ता 12 के पिता उदा के स्थान पर उदाराम तथा प्रार्थीगण के दादा/ससुर का नाम फुसा के स्थान पर फुसाराम शुद्ध कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बीकानेर को आदेश की एक प्रति पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील हस्ब जाब्ता दाखिल दफ़्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी बीकानेर </p>	 <p style="text-align: right;">12 8-1-2020</p>

